

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- राजल सिणधरी ~~कैम्प~~ पायला खुर्द

क्रमांक:- लो.अदा./2018/ 1413

प्रकरण सं.:- 85/2018

दिनांक:- 11/6/2018

आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी पायला खुर्द व मू.अ.नि. पायला कुला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम लूणा कुला तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2070-73 में खाता संख्या 11 में वर्तमान में अशुद्ध प्रविष्टि श्री इंदिरा राम पुत्र श्री माराक स्थान पर श्री इंदिरा राम पुत्र श्री माराक दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

दिनांक:- 11/06/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/ 1413-15

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री श्री इंदिरा राम पुत्र श्री माराक निवासी लूणा कुला तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी